

कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक) राजस्थान जयपुर ।

क्रमांक:- प्रशिक्षण/लेखा/बाहरीप्रशिक्षण/मुख्यालयएवंअन्यसंस्थान/2022-23/के-140-Part(1) दिनांक:-

कार्यालय आदेश संख्या 110 दिनांक 07-10-2024

मुख्यालय के K&CB विंग के पत्र दिनांक 17/07/2024 द्वारा प्राप्त SOP में दिये गये निर्देशानुसार मुख्यालय की बेबसाइट के मेन्यू में उपलब्ध संसाधन (Resource) के अन्तर्गत केंद्रीय ज्ञान भंडार की कार्यात्मक आवश्यकता विशिष्टता (Functional Requirement Specification of the Central Knowledge Repository) के संबंध में एक व्यवस्था स्थापित की गई है जिसका उद्देश्य भारतके सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान (SAI India) में ज्ञान के निर्माण, प्रबंधन, पहुँच और प्रसार के लिए एक व्यवस्थित ढांचा स्थापित करना है, जिससे एक अच्छी तरह से संगठित, आसानी से सुलभ और व्यापक ज्ञान भंडार का निर्माण हो सके। इसके लिए सामग्री का निर्माण, सामग्री प्रस्तुत करना, सामग्री का अनुमोदन एवं उसका प्रकाशन हेतु एक विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इस संबंध में महालेखाकार महोदया के आदेशानुसार कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक) राजस्थान जयपुर हेतु **श्रीमती मीना बिष्ट, वरि. उपमहालेखाकार (प्रशासन)** को नोडल अधिकारी एवं निम्नलिखित अधिकारियों को सामग्री प्रबंधक / सामग्री प्रबंधन टीम नामित किया गया है:-

सामग्री प्रबंधक (Content Manager) (प्रशासन समूह): – श्रीमती मीना बिष्ट, वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

सामग्री प्रबंधन टीम (Content Management Team) (प्रशासन समूह):-

1. श्री राम कुंवार मीणा, वरिष्ठ लेखाधिकारी (कोष निरीक्षण प्रकोष्ठ)
2. श्री अजय कुमार नोटियाल, सहायक लेखाधिकारी (प्रशासन-I)
3. सुश्री श्रुति शर्मा, सहायक लेखाधिकारी (प्रशासन-II)
4. श्री देवराज खत्री, सहायक लेखाधिकारी (विधिक प्रकोष्ठ)
5. श्री देवकी नंदन सोनी, सहायक लेखाधिकारी (आई.एस. डब्ल्यू.)
6. श्री रामावतार छिलोलिया, सहायक लेखाधिकारी (प्रशिक्षण)

सामग्री प्रबंधक (Content Manager) (लेखा समूह): – श्री श्याम सुंदर शर्मा, उप महालेखाकार (लेखा एवं वीएलसी)

सामग्री प्रबंधन टीम (Content Management Team) (लेखा समूह):

1. श्री अजय माटा, वरिष्ठ लेखाधिकारी
2. श्री मंगत राम अरोड़ा, वरिष्ठ लेखाधिकारी
3. श्री हनुमान गुप्ता, वरिष्ठ लेखाधिकारी

इस कार्यालय के इच्छुक अधिकारी/कर्मचारी जो अपनी सामग्री मुख्यालय की बेबसाइट पर अपलोड/प्रकाशित करवाना चाहते हैं वे उक्त सामग्री को समूह से संबंधित सामग्री प्रबंधक को सामग्री प्रबंधन टीम के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं जिस पर मुख्यालय से प्राप्त निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। उक्त सम्बन्ध में और अधिाक जानकारी हेतु कृपया मुख्यालय की वेबसाइट cag.gov.in के Menu बटन पर उपलब्ध Resources (संसाधन) टेब में उपलब्ध दिशा निर्देशों का अवलोकन करे।

MAN PRAKASH

वरि. लेखाधिकारी/प्रशिक्षण

क्रमांक:- प्रशिक्षण/लेखा/बाहरीप्रशिक्षण/मुख्यालयएवंअन्यसंस्थान/2022-23/के-140-Part(1) दिनांक:-07-10-2024
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महालेखाकार (लेखा व हक) राजस्थान जयपुर
2. निजी सचिव/ वरि. उपमहालेखाकार (प्रशासन)/ उपमहालेखाकार (लेखा)
3. वरि. लेखाधिकारी/आई.एस.डब्ल्यू. को समस्त वरि. लेखाधिकारी/सहा. लेखाधिकारी को ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने हेतु तथा कार्यालय की वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु।
4. वरि. लेखाधिकारी/जी.डी. को नोटिस बोर्ड हेतु ।

MAN PRAKASH

वरि. लेखाधिकारी/प्रशिक्षण